संख्या-41/2019/ 948/क0नि0प्र0/26-3-2019-18(109)/2018

प्रेषक

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2019
कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषयः- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के अन्तर्गत चिन्हित ग्रामों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-30/2019/528/क0नि0प्र0/26-3-2019-18(109)/2018 दिनांक 10 जून, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में 1389 गावों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के अन्तर्गत चिन्हित कर उन्हे आदर्श ग्राम बनाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- यह भी अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु शासन के पत्र संख्या-721/क0नि0प्र0/26-3-2019-18(109)/2018 दिनांक 30 जुलाई, 2019 द्वारा समय सारिणी निर्धारित की गयी है जिसमें 26 जनवरी,2020 तक चिन्हित ग्रामों में अपेक्षित विकास कार्य पूर्ण कराकर संबंधित ग्राम को आदर्श ग्राम घोषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उल्लेखनीय है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय अभिसरण समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी को नामित किया गया है।

3- प्रश्नगत योजना की निरन्त समीक्षा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है। अद्यतन प्रगति के अनुसार प्रदेश में कुल चिन्हित 1389 ग्रामों में से 1254 ग्रामों का प्रपत्र-1, 235 ग्रामों का प्रपत्र-2 तथा 14,830 हाऊसहोल्ड का प्रपत्र-3 भरा जा चुका है। रैण्डम जॉच में कतिपय जनपदों के प्रपत्र आंशिक भरे अथवा अपूर्ण भरे पाए गए हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अतएव उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के अन्तर्गत चिन्हिंत 1389 ग्रामों का प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण कार्य/वी0डी0पी0 प्लान तैयार कराये जाने हेतु (निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप) अपेक्षित कार्यवाही कराये जाने हेतु संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिवा।

पृष्ठांकन संख्या- 41/2019/ 948/क0नि0प्र0/26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक (नोडल अधिकारी) उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक,भारत सरकार,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।